COURT FEE 5 रु. Rs 5 पाँच रुपये FIVE RUPEES TWENTY RUPEES बीस रुपये

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

विविध- 9184- PBR/16

प्रकरण क्रमांक /2016 विविध न्याया.अवमानना वाद

श्री लखन सिंह धाकड़ Adv. द्वारा आज दि. 28/09/16 को प्रस्तुत

28.9.16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

89 / 28.9.16

1– मनजीत पुत्र नारायण सिंह मीना

2– सचिन पुत्र मोहनसिंह मीना (ना.बा.)

3– अभिनंदन पुत्र मोहनसिंह मीना (ना.बा.) संरक्षक माँ श्रीमती विनीताबाई पत्नी मोहनसिंह मीना निवासीगण– ग्राम डोंगर, तहसील राधौगढ, जिला गुना (म.प्र.)..........

..............प्रार्थीगण

बनाम

1– श्री ए.व्ही.वाजपेयी (अरविन्द्र वाजपेयी)अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ जिला गुना (म.प्र.)

2– श्रीमती गायत्रीबाई पुत्री स्व. कन्हैयालाल पत्नी परमालसिंह मीना निवासी– ग्राम नलखेडा, तहसील चाचौडा, जिला गुना (म.प्र.)

3– गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी हरस्वरूप मीना निवासी– ग्राम उगोविंदपुर, तहसील राधौगढ, जिला गुना (म.प्र.)

4– ओमवतीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी ओमप्रकाश मीना निवासी– ग्राम महेशपुरा, तहसील चाचौडा, जिला गुना (म.प्र.)

28.09.16 (Lakhan Singh Dhakad) Adv.

......................प्रतिप्रार्थीगण

न्यायालय अवमानना आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 2 एंव 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 433, 433, 674, 641, 684, 399, 916, 747, 663, कुल रकवा 41 वीधा 4 विस्वा ग्राम डोंगर, तहसील राधौगढ, जिला गुना में स्थित है जिसके भूमि स्वामी स्वगीय कन्हैयालाल थे । कन्हैयालाल द्वारा आवेदकगण के हित में रजिर्स्टड वसीयतनामा समक्ष गवाहान दिनांक 23.06.11 एवं 21.09.11 को संपादित किया आवेदकगण को अपना उत्तराधिकारी धोषित किया । जिसकी जानकारी अनावेदकगण क. 1 लगायत 3 को शुरू से ही रही थी स्वर्गीय कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 26.11.13 को हो गई।

2. यह कि आवेदक स्वर्गीय कन्हैयालाल की मृत्यु से दुखी एवं व्यथित होकर उनके कियाक्रम में व्यस्थ रहे । इसी दौरान अनावेदक क. 2 लगायत 4 द्वारा वसीयत के तथ्यों को छिपाकर वसीयतकर्ता स्वर्गीय कन्हैयालाल की भूमियों पर फोती नामांतरण पंजी क. 17 आदेश दिनांक 20.12.13 को तहसील न्यायालय राधौगढ से करा लिया गया। नामांतरण कार्यवाही मे अपीलार्थीगण को कोई सूंचना नहीं दी गई ।

3. यह कि नामांतरण पंजी क. 17 आदेश दिनांक 20.12.13 को तहसील न्यायालय राधौगढ के आदेश के विरूद्व आंवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष पेश की । उक्त अपील प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा एक अंतिरिम आवेदन पत्र इस वावत पेश किया गया कि विवादग्रस्त भूमि के विकय अंतरण एवं बैंक बंधक से प्रतिअपीलार्थीगण को निषेधित किये जाने हेतु पेश किया जिसे उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात आदेश दिनांक 10.02.14 को स्वीकार किया गया ।

4. यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 10.02.14 क विरूद्व निगरानी अनावेदकगण द्वारा माननीय राजस्व मंण्डल के समक्ष पेश की जिसका प्र.क. 509/II/14 निगरानी है जिसमें आदेश दिनांक 06.06.14 से माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है िकवे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण गुण दोषों पर 3 माह में करे ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9184–पीबीआर/2016 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.16	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । उन्हें समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	